



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 भाद्र 1942 (श०)
(सं० पटना 565) पटना, सोमवार, 14 सितम्बर 2020

परिवहन विभाग

अधिसूचना
11 सितम्बर 2020

सं०-05/स्था०-146/2007-6533—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-7398, दिनांक-26.08.2020 द्वारा श्री वरुण कुमार मिश्रा, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-853/11) को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है।

उक्त के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वरुण कुमार मिश्रा को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

सं०-05/स्था०-146/2007-6534—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-7398, दिनांक-26.08.2020 द्वारा मो० वारिश खान, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-856/11) को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है।

उक्त के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मो० वारिश खान को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

सं०-05/स्था०-146/2007-6535—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-7398, दिनांक-26.08.2020 द्वारा श्री लाल ज्योति नाथ, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-1336/11) को अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है।

उक्त के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लाल ज्योति नाथ को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के कार्यों के निष्पादन हेतु शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शैलेन्द्र नाथ,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 565-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>